

**संलग्नक-1**  
**तहसीलवार कुल वितरित धनराशि का विवरण**  
**जनपद-चम्पावत**

| क्र.सं. | विवरण   | चम्पावत | लोहाघाट | पाटी | बाराकोट | टनकपुर | लामार्थियों की संख्या | NDRF/SDRF मानकों के अनुसार |           | राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता |            | प्रधानमंत्री राहत कोष |            | मुख्यमंत्री राहत कोष |        | योग       |            | अभ्युक्ति                            |
|---------|---|---------|---------|------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|--------|-----------|------------|--------------------------------------|
|         |   |         |         |      |         |        |                       | दर                         | धनराशि    | दर                                 | धनराशि     | दर                    | धनराशि     | दर                   | धनराशि | दर        | धनराशि     |                                      |
| 1       | मृतक व्यक्ति  |         | 3       | 1    | 1       |        | 5                     | 150000.00                  | 750000.00 | 150000.00                          | 750000.00  | 200000.00             | 1000000.00 |                      |        | 500000.00 | 2500000.00 |                                      |
| 2       | मृतक व्यक्ति मानसून के बाद                              |         |         |      |         | 1      | 1                     | 150000.00                  | 150000.00 |                                    |            |                       |            |                      |        | 150000.00 | 150000.00  |                                      |
| 3       | लापता व्यक्ति   |         |         |      |         |        | -                     | -                          | -         | -                                  | -          | -                     | -          | -                    | -      | -         | -          |                                      |
| 4       | अपंगता 80 प्रतिशत से अधिक                               |         |         |      |         |        | -                     | 62000.00                   | -         | 88000.00                           |            | 50000.00              |            |                      |        | 200000.00 | -          |                                      |
| 5       | अपंगता 40 से 80 प्रतिशत तक                              |         |         |      |         |        | -                     | 43500.00                   | -         | 56500.00                           |            | 50000.00              |            |                      |        | 150000.00 | -          |                                      |
| 6       | घायल व्यक्ति (01 सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती)      |         | 1       |      |         | 1      | 2                     | 9300.00                    | 18600.00  | 20700.00                           | 41400.00   |                       |            |                      |        | 30000.00  | 60000.00   |                                      |
| 7       | घायल व्यक्ति (01 सप्ताह से कम अस्पताल में भर्ती)        |         |         |      | 1       | 2      | 3                     | 3100.00                    | 9300.00   | 11900.00                           | 35700.00   |                       |            |                      |        | 15000.00  | 45000.00   |                                      |
| 8       | पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का भवन                           |         |         | 3    | 3       |        | 6                     | 35000.00                   | 210000.00 | 65000.00                           | 390000.00  | 100000.00             | 600000.00  |                      |        | 200000.00 | 1200000.00 |                                      |
| 9       | पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का भवन राजकीय भूमि पर            |         |         |      |         | 17     | 17                    |                            |           |                                    |            | 100000.00             | 1700000.00 |                      |        | 100000.00 | 1700000.00 |                                      |
| 10      | तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त पक्का भवन                           |         | 5       | 9    | 12      | 2      | 28                    | 6300.00                    | 176400.00 | 43700.00                           | 1223600.00 | 50000.00              | 1400000.00 |                      |        | 100000.00 | 2800000.00 |                                      |
| 11      | तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त पक्का भवन मानसून के बाद             | 1       |         |      |         |        | 1                     | 6300.00                    | 6300.00   |                                    |            |                       |            |                      |        | 6300.00   | 6300.00    |                                      |
| 12      | आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का भवन                             | 10      | 47      | 17   | 20      | 26     | 120                   | 1900.00                    | 228000.00 | 13100.00                           | 1572000.00 |                       |            |                      |        | 15000.00  | 1800000.00 |                                      |
| 13      | आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का भवन मानसून के पूर्व एवं बाद में | 4       | 3       |      |         |        | 7                     | 1900.00                    | 13300.00  |                                    |            |                       |            |                      |        | 1900.00   | 13300.00   |                                      |
| 14      | आंशिक क्षतिग्रस्त पक्का भवन राजकीय भूमि पर              |         |         |      |         | 17     | 17                    |                            |           |                                    |            | 15000.00              | 255000.00  |                      |        | 15000.00  | 255000.00  |                                      |
| 15      | पूर्णतः क्षतिग्रस्त कच्चा भवन                           |         |         | 1    |         |        | 1                     | 15000.00                   | 15000.00  |                                    |            | 85000.00              | 85000.00   |                      |        | 100000.00 | 100000.00  |                                      |
| 16      | तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त कच्चा भवन                           |         |         |      |         |        |                       |                            |           |                                    |            |                       |            |                      |        |           |            |                                      |
| 17      | आंशिक क्षतिग्रस्त कच्चा भवन                             |         |         |      |         | 1      | 1                     | 1900.00                    | 1900.00   |                                    |            |                       |            |                      |        | 1900.00   | 1900.00    |                                      |
| 18      | क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी                                 |         |         |      |         | 2      | 2                     | 2500.00                    | 5000.00   | 3500.00                            | 7000.00    |                       |            |                      |        | 6000.00   | 12000.00   |                                      |
| 19      | क्षतिग्रस्त भवन के साथ जुड़ी पशुशाला                    |         |         | 2    |         |        | 2                     | 1250.00                    | 2500.00   | 1250.00                            | 2500.00    |                       |            |                      |        | 2500.00   | 5000.00    |                                      |
| 20      | बड़े जानवर दुधारू (गाय, भैंस आदि)                       | 3       |         |      | 4       | 5      | 12                    | 16400.00                   | 183500.00 | 3600.00                            | 41900.00   |                       |            |                      |        | 20000.00  | 225400.00  | पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वितरित |

|    |  |    |   |    |     |     |           |           |         |           |  |           |           |           |           |  |                                      |
|----|--|----|---|----|-----|-----|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--------------------------------------|
| 21 | बड़े जानवर दुधारू (गाय, भैंस आदि) मानसून के बाद  |    |   |    |     |     |           |           |         |           |  |           |           |           |           |  |                                      |
| 22 | बड़े जानवर (बैल, घोड़ा आदि)  |    | 4 | 4  | 1   | 9   | 15000.00  | 83000.00  |         |           |  | 35000.00  | 70000.00  | 50000.00  | 153000.00 |  | पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वितरित |
| 23 | बड़े जानवर (गधा खच्चर आदि)   |    |   |    |     |     |           |           |         |           |  |           |           |           |           |  |                                      |
| 24 | छोटे जानवर (भेड़, बकरी आदि )   |    |   | 2  |     | 2   | 1650.00   | 3300.00   | 1350.00 | 2700.00   |  |           |           | 3000.00   | 6000.00   |  |                                      |
| 25 | बड़े जानवर बछिया   |    |   |    | 2   | 2   | 10000.00  | 20000.00  | 1000.00 | 2000.00   |  |           |           | 11000.00  | 22000.00  |  |                                      |
| 26 | छोटे जानवर (कुक्कुट) अधिकत 400.00 प्रति परिवार   |    |   |    | 8   | 8   |           | 3200.00   |         |           |  |           |           |           | 3200.00   |  |                                      |
| 27 | अहैतुक सहायता (बर्तन घरेलु सामग्री हेतु )  |    |   |    | 156 | 156 | 1400.00   | 218400.00 | 2600.00 | 405600.00 |  |           |           | 4000.00   | 624000.00 |  |                                      |
| 28 | अहैतुक सहायता (बर्तन घरेलु सामग्री हेतु ) मानसून के बाद                                  | 1  |   |    |     | 1   | 1400.00   | 1400.00   |         |           |  |           |           | 1400.00   | 1400.00   |  |                                      |
| 29 | अहैतुक सहायता (कपड़े खाद्यान्न सामग्री हेतु )  |    |   |    | 156 | 156 | 1300.00   | 202800.00 | 2700.00 | 421200.00 |  |           |           | 4000.00   | 624000.00 |  |                                      |
| 30 | अहैतुक सहायता (कपड़े खाद्यान्न सामग्री हेतु ) मानसून के बाद                              | 1  |   |    |     | 1   | 1300.00   | 1300.00   |         |           |  |           |           | 1300.00   | 1300.00   |  |                                      |
| 31 | कृषि भूमि में अवसाद हटाने हेतु   |    |   |    |     |     | 8100.00   |           | 6900.00 |           |  |           |           | 15000.00  |           |  |                                      |
| 32 | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (पहाड़ी क्षेत्र में) | 14 |   | 54 | 1   | 69  | 2500.00   | 121630.00 | 2500.00 |           |  | 121630.00 | 5000.00   | 243260.00 |           |  |                                      |
| 33 | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (मैदानी क्षेत्र में) |    |   |    | 11  | 11  | 100000.00 | 35835.00  |         |           |  |           | 100000.00 | 35835.00  |           |  |                                      |
| 34 | असिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)                                 |    |   |    |     |     | 3000.00   |           | 2000.00 |           |  |           | 5000.00   |           |           |  |                                      |
| 35 | सिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)                                  |    |   |    |     |     | 6000.00   |           | 2000.00 |           |  |           | 8000.00   |           |           |  |                                      |
| 36 | सदाबहार फसल को हुई क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)                                   |    |   |    |     |     | 8000.00   |           | 7000.00 |           |  |           | 15000.00  |           |           |  |                                      |
| 37 | साधारण किस्म के ढाबे/अन्य दुकानें  |    |   |    |     |     |           |           |         |           |  |           |           |           |           |  |                                      |
| 38 | क्षतिग्रस्त होटल   |    |   |    |     |     |           |           |         |           |  |           |           |           |           |  |                                      |
| 39 | बेघर हो गये परिवारों को किराया   |    |   |    |     |     |           |           |         |           |  |           |           |           |           |  |                                      |

|    |   |  |                         |   |   |  |    |                   |  |                   |  |                   |          |                   |                 |                    |
|----|---|--|-------------------------|---|---|--|----|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 40 | विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता   |  | 1                       |   | 1   |  | 2  |                   |  |                   |  | 25000.00          | 50000.00 | 25000.00          | <b>50000.00</b> |                    |
| 41 | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता   |  |                         |   |   |  |    |                   |  |                   |  |                   |          |                   |                 |                    |
| 42 | तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता |  |                         |   |   |  |    |                   |  |                   |  |                   |          |                   |                 |                    |
| 43 | क्षतिग्रस्त घराट  |  |                         |   |   |  |    |                   |  |                   |  |                   |          |                   |                 |                    |
| 44 | फसे हुये यात्रियों को आर्थिक सहायता   |  |                         |   |   |  |    |                   |  |                   |  |                   |          |                   |                 |                    |
| 45 | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों तथा मृतक एवं लापता व्यक्तियों के परिवारों को गर्म कपड़े हेतु    |  | 3 मृतक के प्रभावितों को | 1 मृतक के प्रभावितों को, 3 पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के भवन के प्रभावितों को | 1 मृतक के प्रभावितों को, 3 पूर्ण क्षतिग्रस्त पक्के भवन के प्रभावितों को |  | 11 |                   |  |                   |  | 5000.00           | 55000.00 | 5000.00           | <b>55000.00</b> |                    |
| 46 | विद्यार्थियों का शुल्क  |  |                         | 2   | 3   |  | 5  |                   |  |                   |  |                   | 876.00   |                   | <b>876.00</b>   |                    |
|    | योग   |  |                         |   |   |  |    | <b>2460665.00</b> |  | <b>4895600.00</b> |  | <b>3000000.00</b> |          | <b>2337506.00</b> |                 | <b>12693771.00</b> |

ह0/—

मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—

आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

ह0/—

प्रभारी अधिकारी (दै.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—

जिलाधिकारी,  
चम्पावत





|            |  |    |  |                   |  |                   |  |                   |          |                   |                 |                    |  |
|------------|--|----|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|--|
| 44         | फसे हुये यात्रियों को आर्थिक सहायता  |    |  |                   |  |                   |  |                   |          |                   |                 |                    |  |
| 45         | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों तथा मृतक एवं लापता व्यक्तियों के परिवारों को गर्म कपड़े हेतु | 11 |  |                   |  |                   |  | 5000.00           | 55000.00 | 5000.00           | <b>55000.00</b> |                    |  |
| 46         | आपदा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के प्रभावित शिक्षणरत विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क      | 5  |  |                   |  |                   |  |                   | 876.00   |                   | <b>876.00</b>   |                    |  |
| <b>योग</b> |  |    |  | <b>2460665.00</b> |  | <b>4895600.00</b> |  | <b>3000000.00</b> |          | <b>2337506.00</b> |                 | <b>12693771.00</b> |  |

ह0/—  
मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—  
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

ह0/—  
प्रभारी अधिकारी (दै.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत

संलग्नक-3

मा. प्रधानमंत्री राहत कोष/ मा. मुख्यमंत्री राहत कोष/ राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/ राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता धनराशि का विवरण

| प्राप्तियां                             |               |   |  |                  | व्यय    |   |   |                 |   |
|---|---------------|---|--|------------------|---------|---|---|-----------------|---|
| क्र.सं.                                 | दिनांक        | शासनादेश संख्या                                     | शासनादेश का प्रयोजन                        | धनराशि (लाख में) | क्र.सं. | दिनांक                                    | व्यय का विवरण   | धनराशि          | अभ्युक्ति   |
| 1-मा. प्रधानमंत्री राहत कोष             | -             | -   | -  | -                | -       | -   | -   | -               | -   |
| 2-मा. मुख्यमंत्री राहत कोष              | 22-08-2013    | शासनादेश स.-222/XXXI-4/2013                         | आपदा राहत सहायता                           | 25.00            | 1       | 27.08.2013 से 31.03.2014 तक               | 02 मृत व्यक्ति की विधवा हेतु, राज्य सरकार की भूमि पर बने 17 पक्के पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों, राज्य सरकार की भूमि पर बने 17 कच्चे पूर्ण क्षतिग्रस्त भवनों, 01 पूर्ण कच्चा, आवासीय भवन, 02 मृत घोड़ों के प्रभावितों, पर्वतीय क्षेत्र के किसानों कृषि भूमि की क्षति पर बड़ी हुयी दर के आधार पर 69 प्रभावितों को राहत सहायता, 05 मृत व्यक्तियों के प्रभावितों, 06 पूर्णतः क्षतिग्रस्त भवनों के प्रभावितों को गर्म एवं ऊनी वस्त्रों के क्रय हेतु, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के 05 शिक्षणरत विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क | 23.37506        | अवशेष ₹ 2,18,370.00 लाख आहरण वितरण अधिकारी मा. मुख्यमंत्री कार्यालय देहरादून को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया। |
|   | 21-01-2014    | शासनादेश स.-1027/XXXI-14/2013                       |  | 0.55             |         |   |   |                 |   |
|   | 13-02-2014    | शासनादेश स.-1119(1)/XXXI-14/2013-14                 |  | 0.00876          |         |   |   |                 |   |
| <b>योग</b>                              |               |   |  | 25.55876         |         |   |   | <b>23.37506</b> |   |
| 3. राज्य आपदा मोचन निधि (एस. डी.आर.एफ.) | 13.06.2013    | शासनादेश स.-355 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013       | सार्वजनिक परिसम्पत्ति के पुनर्निर्माण हेतु | 200.00           | 1       | दिनांक 12.07.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक | लो.नि.वि., चम्पावत/लोहाघाट, पी.एम.जी.एस.वाई, चम्पावत, एडीबी पिथौरागढ़, सिंचाई विभाग, लोहाघाट, लघु डाल खण्ड अल्मोड़ा, नलकूप खण्ड, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, चम्पावत, विद्युत वितरण खण्ड, चम्पावत को उनके विभागीय परिसम्पत्तियों की कुल 142 योजनाओं के मरम्मत/पुनर्निर्माण हेतु आवंटित  | 1090.08         | अवशेष धनराशि ₹ 2,19,49,000.00 शासन को समर्पित   |
|   | 16.07.2013    | शासनादेश स.-570 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013       |  | 50.00            |         |   |   |                 |   |
|   | 3 / 12 / 2013 | शासनादेश स.-1368 / XVIII-(2)/F / 13 / 04(27) / 2013 |  | 748.00           |         |   |   |                 |   |
|   | 18.12.2013    | शासनादेश स.-1341 / XVIII-(2)/F / 13-12(20) / 2013   |  | 13.30            |         |   |   |                 |   |
|   | 07.01.2014    | शासनादेश स.-14 / XVIII-(2)/F / 14-12(02) / 2014     |  | 124.00           |         |   |   |                 |   |

|                                   |  |               |                |   |                                |   |                  |   |
|-----------------------------------|--|---------------|----------------|---|--------------------------------|---|------------------|---|
| 05.02.2014                        | शासनादेश स.-13 / XVIII-(2)/F / 14-12(01) / 2014  |               | 24.27          |   |                                |   |                  |   |
| 29.03.2014                        | शासनादेश स.-364 / XVIII-(2)/F / 14-12(04) / 2014 |               | 150.00         |   |                                |   |                  |   |
| <b>योग</b>                        |  |               | <b>1309.57</b> |   |                                |   | <b>1090.08</b>   |   |
| 13.06.2013                        | शासनादेश स.-355 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013    | अहैतुक सहायता | 75.00          | 1 | 17.06.2013 से<br>31.03.2014 तक | प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान, अहैतुक, अनुगृह सहायता के अन्तर्गत आवंटित | <b>103.56265</b> | अवशेष धनराशि<br>₹ 2,71,43,735.00<br>शासन को समर्पित                     |
| 18.06.2013                        | शासनादेश स.-444 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013    |               | 100.00         |   |                                |   |                  |   |
| 20.06.2013                        | शासनादेश स.-452 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013    |               | 200.00         |   |                                |   |                  |   |
| <b>योग</b>                        |  |               | <b>375.00</b>  |   |                                |   | <b>103.56265</b> |   |
| 13.06.2013                        | शासनादेश स.-355 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013    | पेयजल         | 25.00          | - | -                              | -   | -                | प्राप्त धनराशि<br>₹ 25.00 लाख व्यय<br>न होने के कारण<br>शासन को समर्पित |
| <b>योग</b>                        |  |               | <b>25.00</b>   | - | -                              | -   | -                |   |
| 4. राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता | -  | -             | -              | - | -                              | -   | -                | -   |

ह0/-  
मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/-  
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

ह0/-  
प्रभारी अधिकारी (दै.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/-  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत



संलग्नक-4

कोषागार नियम 24 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आहरित धनराशि का विवरण

जनपद चम्पावत

| क्र.सं. | कोषागार नियम 24 के अन्तर्गत विभाग द्वारा आहरित धनराशि का विवरण |                | क्र.सं. | कोषागार नियम 24 के अन्तर्गत विभाग द्वारा समायोजित धनराशि का विवरण |                |                  |   |
|---------|--|----------------|---------|---|----------------|------------------|---|
|         | प्रयोजन  | धनराशि लाख में |         | दिनांक/शासनादेश संख्या  | स्रोत का विवरण | धनराशि (लाख में) | अभ्युक्ति   |
| 1       | —  | —              | —       | —   | —              | —                | शासनादेश स.-571/XVIII/F/2013-12 (4)/2013 टी.सी. दिनांक 17.07.2014 से टी.आर.-24 के लिए जनपद चम्पावत को ₹ 4.50 करोड आवंटित किया गया। जनपद में टी.आर.-24 से कोई राशि आहरित नहीं की गई है। जिस कारण इस राशि को शासन को समर्पित किया गया था। |
| 2       | —  | —              | —       | —   | —              | —                |   |
| 3       | —  | —              | —       | —   | —              | —                |   |

ह0/—  
मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—  
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

ह0/—  
प्रभारी अधिकारी (द्वै.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत



वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्राप्त धनराशि एस.डी.आर.एफ. (राज्य आपदा मोचन निधि)

के अन्तर्गत ही प्राप्त हुयी।

|            |   |
|------------|---|
| 26         | छोटे जानवर (कुककुट) अधिकत 400.00 प्रति परिवार   |
| 27         | अहैतुक सहायता (बर्तन घरेलु सामग्री हेतु )   |
| 28         | अहैतुक सहायता (बर्तन घरेलु सामग्री हेतु ) मानसून के बाद   |
| 29         | अहैतुक सहायता (कपड़े खाद्यान्न सामग्री हेतु )   |
| 30         | अहैतुक सहायता (कपड़े खाद्यान्न सामग्री हेतु ) मानसून के बाद                                     |
| 31         | कृषि भूमि में अवसाद हटाने हेतु  |
| 32         | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (पहाड़ी क्षेत्र में)        |
| 33         | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (मैदानी क्षेत्र में)        |
| 34         | असिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)  |
| 35         | सिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)   |
| 36         | सदाबहार फसल को हुई क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)  |
| 37         | साधारण किस्म के ढाबे/अन्य दुकानें   |
| 38         | क्षतिग्रस्त होटल  |
| 39         | बेघर हो गये परिवारों को किराया  |
| 40         | विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता   |
| 41         | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता   |
| 42         | तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता |
| 43         | क्षतिग्रस्त घराट  |
| 44         | फसे हुये यात्रियों को आर्थिक सहायता   |
| 45         | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों तथा मृतक एवं लापता व्यक्तियों के परिवारों को गर्म कपड़े हेतु    |
| 46         | आपदा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के प्रभावित शिक्षणरत विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क         |
| <b>योग</b> |   |

ह0/—

मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—

आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

ह0/—

प्रभारी अधिकारी (दै.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—

जिलाधिकारी,  
चम्पावत



|            |   |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
|------------|---|----|----------|-------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------------|--|
| 30         | अहैतुक सहायता (कपड़े खाद्यान्न सामग्री हेतु ) मानसून के बाद                                     |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 31         | कृषि भूमि में अवसाद हटाने हेतु  |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 32         | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (पहाड़ी क्षेत्र में)        | 69 | 2500.00  | 121630.00         |  |  |  |  |  |  | 2500.00  | 121630.00         |  |
| 33         | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (मैदानी क्षेत्र में)        |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 34         | असिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)  |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 35         | सिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)   |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 36         | सदाबहार फसल को हुई क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)  |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 37         | साधारण किस्म के ढाबे/अन्य दुकानें   |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 38         | क्षतिग्रस्त होटल  |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 39         | बेघर हो गये परिवारों को किराया  |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 40         | विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता   | 2  | 25000.00 | 50000.00          |  |  |  |  |  |  | 25000.00 | 50000.00          |  |
| 41         | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता   |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 42         | तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 43         | क्षतिग्रस्त घराट  |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 44         | फसे हुये यात्रियों को आर्थिक सहायता   |    |          |                   |  |  |  |  |  |  |          |                   |  |
| 45         | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों तथा मृतक एवं लापता व्यक्तियों के परिवारों को गर्म कपड़े हेतु    | 11 | 5000.00  | 55000.00          |  |  |  |  |  |  | 5000.00  | 55000.00          |  |
| 46         | आपदा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के प्रभावित शिक्षणरत विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क         | 5  |          | 876.00            |  |  |  |  |  |  |          | 876.00            |  |
| <b>योग</b> |   |    |          | <b>2337506.00</b> |  |  |  |  |  |  |          | <b>2337506.00</b> |  |

ह0/—  
मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—  
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

ह0/—  
प्रभारी अधिकारी (द.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/—  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत



|            |   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
|------------|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| 28         | अहैतुक सहायता (बर्तन घरेलु सामग्री हेतु ) मानसून के बाद   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 29         | अहैतुक सहायता (कपड़े खाद्यान्न सामग्री हेतु )   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 30         | अहैतुक सहायता (कपड़े खाद्यान्न सामग्री हेतु ) मानसून के बाद                                     |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 31         | कृषि भूमि में अवसाद हटाने हेतु  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 32         | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (पहाड़ी क्षेत्र में)        |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 33         | भूस्खलन, हिमस्खलन या नदी मार्ग परिवर्तन के कारण भूमिकटाव क्षति हेतु (मैदानी क्षेत्र में)        |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 34         | असिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 35         | सिंचित भूमि में फसल क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 36         | सदाबहार फसल को हुई क्षति हेतु (50 से अधिक की क्षति पर)  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 37         | साधारण किस्म के ढाबे/अन्य दुकानें   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 38         | क्षतिग्रस्त होटल  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 39         | बेघर हो गये परिवारों को किराया  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 40         | विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 41         | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 42         | तीक्ष्ण क्षतिग्रस्त भवन जिसमें एक से अधिक परिवार निवासरत हों के विधिक परिवारों को आर्थिक सहायता |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 43         | क्षतिग्रस्त घराट  |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 44         | फसे हुये यात्रियों को आर्थिक सहायता   |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 45         | पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन स्वामियों तथा मृतक एवं लापता व्यक्तियों के परिवारों को गर्म कपड़े हेतु    |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| 46         | आपदा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के प्रभावित शिक्षणरत विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क         |  |  |  |  |                   |  |  |  |                  |                   |
| <b>योग</b> |   |  |  |  |  | <b>3000000.00</b> |  |  |  | <b>350000.00</b> | <b>3000000.00</b> |

₹0/-  
मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

₹0/-  
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

₹0/-  
प्रभारी अधिकारी (द्वै.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

₹0/-  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत

संलग्नक-8

(क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग- जिला की दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 तक की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

| क्र.सं.       | विभिन्न निधियों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि |     |   |                        | वास्तविक धनराशि | मानकों के अनुसार धनराशि | अवशेष            | अभियुक्ति  |  |
|---------------|--|-----|---|------------------------|-----------------|-------------------------|------------------|--|--|
|               | राज्य आपदा मोचन निधि                       |     |   |                        |                 |                         |                  |  |  |
|               | मद   | सं. | शासनादेश संख्या एवं दिनांक  | कुल धनराशि (₹ लाख में) |                 |                         |                  |  |  |
| 1             | पुनर्निर्माण                               | 1   | शासनादेश स.-355 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013 दिनांक 13.06.2013       | 200.00                 | 200.00          | 237.79                  | 12.21            | अवशेष धनराशि ₹ 219.49 लाख, शासन को समर्पित की गई।                      |  |
|               |  | 2   | शासनादेश स.-570 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013 दिनांक 16.07.2013       | 50.00                  | 50.00           |                         |                  |  |  |
|               |  | 3   | शासनादेश स.-1368 / XVIII-(2)/F / 13 / 04(27) / 2013 दिनांक 03.12.2013 | 748.00                 | 748.00          | 728.31                  | 19.69            |  |  |
|               |  | 4   | शासनादेश स.-1341 / XVIII-(2)/F / 13-12(20) / 2013 दिनांक 18.12.2013   | 13.30                  | 13.30           | -                       | 13.30            |  |  |
|               |  | 5   | शासनादेश स.-14 / XVIII-(2)/F / 14-12(02) / 2014 दिनांक 07.01.2014     | 124.00                 | 124.00          | 123.98                  | 0.02             |  |  |
|               |  | 6   | शासनादेश स.-13 / XVIII-(2)/F / 14-12(01) / 2014 दिनांक 05.02.2014     | 24.27                  | 24.27           | -                       | 24.27            |  |  |
|               |  | 7   | शासनादेश स.-364 / XVIII-(2)/F / 14-12(04) / 2014 दिनांक 29.03.2014    | 150.00                 | 150.00          | -                       | 150.00           |  |  |
|               | <b>योग</b>                                 |     |   |                        | <b>1309.57</b>  | <b>1309.57</b>          | <b>1090.08</b>   | <b>219.49</b>  | अवशेष धनराशि ₹ 271.43735 लाख, शासन को समर्पित की गई। |
|               | अहैतुक सहायता                              | 1   | शासनादेश स.-355 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013 दिनांक 13.06.2013       | 75.00                  | 75.00           |                         |                  |  |  |
|               |  | 2   | शासनादेश स.-444 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013 दिनांक 18.06.2013       | 100.00                 | 100.00          |                         |                  |  |  |
|               |  | 3   | शासनादेश स.-452 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013 दिनांक 20.06.2013       | 200.00                 | 200.00          |                         |                  |  |  |
|               | <b>योग</b>                                 |     |   |                        | <b>375.00</b>   | <b>375.00</b>           | <b>103.56265</b> | <b>271.43735</b>   |  |
|               | पेयजल                                      | 1   | शासनादेश स.-355 / XVIII-(2) / 13-12(4) / 2013 दिनांक 13.06.2013       | 25.00                  | 25.00           | -                       | 25.00            | प्राप्त धनराशि ₹ 25.00 लाख, व्यय न होने के कारण शासन को समर्पित की गई। |  |
|               | <b>योग</b>                                 |     |   |                        | <b>25.00</b>    | <b>25.00</b>            | <b>-</b>         | <b>25.00</b>   |  |
| <b>महायोग</b> |  |     |   | <b>1709.57</b>         | <b>1709.57</b>  | <b>1193.64265</b>       | <b>515.92735</b> |  |  |



**मां. मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष**

|               |   |   |                      |                 |                 |                 |  |
|---------------|---|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 2             | 1                                       | शासनादेश स.-222/XXXI-4/2013 दिनांक 22.08.2013         | 25.00                | 25.00           | 22.8163         | 2.1837          | अवशेष ₹ 2.1837 लाख आहरण वितरण अधिकारी मा. मुख्यमंत्री कार्यालय देहरादून को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्यावर्तित किया गया ।  |
|               | 2                                       | शासनादेश स.-1027/XXXI-14/2013 दिनांक 21.01.2014       | 0.55                 | 0.55            | 0.55            | -               |  |
|               | 3                                       | शासनादेश स.-1119(1)/XXXI-14/2013-14 दिनांक 13.02.2014 | 0.00876              | 0.00876         | 0.00876         | -               |  |
|               | <b>कुल योग</b>                          |   |                      | <b>25.55876</b> | <b>25.55876</b> | <b>23.37506</b> | <b>2.1837</b>  |
| 3             | <b>राज्य सरकार के बजट से देय सहायता</b> |   |                      |                 |                 |                 |  |
|               | मद                                      | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                            | कुल धनराशि (लाख में) |                 |                 |                 | जनपद चम्पावत के लिए राज्य सरकार से कोई धनराशि स्वीकृत/आवंटित नहीं की गई है।  |
|               | -                                       | -   | -                    | -               | -               | -               |  |
|               |   |   |                      |                 |                 |                 |  |
| 4             | <b>प्रधानमंत्री राहत कोष</b>            |   |                      |                 |                 |                 |  |
|               | मद                                      | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                            | कुल धनराशि (लाख में) |                 |                 |                 | जनपद चम्पावत के लिए शासन से मा. प्रधानमंत्री राहत कोष हेतु कोई धनराशि स्वीकृत/आवंटित नहीं की गई है। जिन प्रकरणों में मा. प्रधानमंत्री राहत कोष से धनराशि देय थी, उसे एस.डी.आर.एफ. के मद से ही वितरित की गई |
|               | -                                       | -   | -                    | -               | -               | -               |  |
|               |   |   |                      |                 |                 |                 |  |
| <b>महायोग</b> |   |   | -                    | -               | -               | -               | -  |

ह0/-  
मुख्य राजस्व लेखाकार,  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/-  
आपदा प्रबन्धन अधिकारी,  
चम्पावत।

ह0/-  
प्रभारी अधिकारी (दैं.आ.),  
जिला कार्यालय, चम्पावत।

ह0/-  
जिलाधिकारी,  
चम्पावत